न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—32/19 (201/00114) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—शंकर आत्मज रूपा लौहार निवासी पाटियो का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—संतोष पत्नि नन्दा कुमावत निवासी पाटियो का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1—सज्जन बैरवा — अधिवक्ता प्रार्थी
2—जाकिर हुसैन — अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पाटियाखेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 700/622 रकबा 0.036 है0, व आराजी नम्बर 62 रकबा 0.28 है0, भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 को आराजी नम्बर 700/622 मे से 0.04 है0 भूमि व आराजी नम्बर 623 रकबा 0.28 है0 मे से 0.07 है0 भूमि जरिये रजिस्डर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2006 को निम्न पड़ौस के मध्य की भूमि पूर्व मे रास्ता पश्चिम व उत्तर में स्वय विक्रेता की भूमि और दक्षिण में थला की सीमा पर विक्रेता की भूमि और इसी प्रकार विपक्षी को कब्जा सिपूर्द किया गया विपक्षी 2 के द्वारा उक्त रजिस्डर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के खाते में नवीन आराजी संख्या 703/622 रकबा 0.32 है0 पूर्व आराजी संख्या 700/622 रकबा 0.036 है0 के स्थान पर नवीन आराजी संख्या 704/623 रकबा 0.21 है0 एवं आराजी संख्या 623 के स्थान पर अंकन करते हुए विकृत भूमि का खाता विपक्षी के नाम पृथक कर दिया जिसके नवीन आराजी नम्बर 701/622 और 702/623 दर्ज कर दिया गया किन्तु राजस्व नक्षे ट्रेस में अंकन अनुसार तरमीम नही की गई जबकी विपक्षी 2 को तरमीम की जानी थी। अतः प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जावे की विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2006 में वर्णित पड़ौस के मध्य की भूमि के अलावा प्रार्थी की अवशेष भूमि किसी भाग पर दंखलदाजी नही करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी की और से अधिवक्ता जाकीर हुसैन उपस्थित किन्तु विपक्षी की और से आदिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नही हुआ और प्रकरण में काफी आवाज लगाई किन्तु उभयपक्ष या अधिवक्ता उपस्थित नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण में दिनांक 21.02.2019 को अस्थायी निषेधाज्ञा का अन्तरिम आदेश जारी किया गया उसमें किसी को कोई आपत्ति नही होने से दिनांक 21.02.2019 को जारी अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 21.02.2019 को जारी अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक विक्रयपत्र में अकित भूमि के अलावा प्रार्थी की अवशेष भूमि पर किसी भाग पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही करें और न अन्य से करावें। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.11.19

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.04 12:15:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: